केस ऑफिसर स्कीम, हार्डकोर अपराधियों का चयन

Content

Time: 90 min

1. स्थाई आदेश 06/2006, क्रमांक 03 दिनांक 19.08.2006
2. हार्डकोर अपराधी के संबंध में कार्य योजना, क्रमांक 463 दिनांक 25.05.2017
3. हार्डकोर विचाराधीन बदियों/गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में ले जाते समय सुरक्षा के संबंध में, क्रमांक 910 दिनांक 28.07.2016

# कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–प–4(7)पुलिस / प्रशासन / 2005–06 / 3   दिनांकः– 19 / 08 / 2006

## स्थाई आदेश – 6 / 2006

प्रायः आदतन एवं पेशेवर अपराधियों के भय के कारण गवाह उनके विरूद्ध साक्ष्य देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जिससे उनके विरूद्ध दर्ज बहुत कम अपराधों में सजा हो पाती है। इससे आपराधिक स्थिति पर विपरित प्रभाव पड़ता है तथा जनता में असुरक्षा एवं भय की भावना घर कर लेती है। साथ ही पुलिस की कार्य कुशलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व केस ऑफिसर योजना आरम्भ की गई थी। यह योजना अपराधियों की सक्रिय गतिविधियों पर अंकुश लगाने, संगठित एवं गम्भीर अपराधों पर काबू पाने तथा जनता में ऐसे अपराधों एवं अपराधियों से असुरक्षा एवं भय के वातावरण को दूर करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के सार्थक परिणामों के दृष्टिगत भविष्य में इसके प्रभावी निष्पादन हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं:

### केस ऑफिसर योजनाः

केस ऑफिसर योजना के अन्तर्गत सनसनीखेज एवं गम्भीर अपराधों तथा पेशेवर एवं आदतन अपराधियों के विरूद्ध अन्वीक्षाधीन प्रकरणों को चयनित कर उन प्रकरणों में केस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। केस ऑफिसर का कार्य प्रकरण की अन्वीक्षा के दौरान केस की प्रगति पर निकट निगरानी रखना, अभियोजक एवं गवाहों से निकट सम्पर्क रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि अदालत में पेश होने वाले साक्ष्य समय पर एवं बिना व्यवधान के पेश हों। इसके अतिरिक्त केस ऑफिसर स्वयं द्वारा एवं अभियोजक के मार्फत अदालत से सम्पर्क कर प्रकरण में शीघ्र निस्तारण हेतु जल्दी पेशियाँ करवाने का हर सम्भव प्रयास करेगा। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा भी समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को केस ऑफिसर योजना के प्रकरणों को प्राथमिकता देने हेतु निर्देश पत्र कमांक Gen/ XV /07/05/669 दिनांक 10.4.06 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

### योजना के मुख्य बिन्दुः

क. **केस का चयनः**– सही केस का चयन इस योजना को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है अतः केस के चयन के समय निम्न बिन्दुओं पर गौर किया जावेः–